जिला शिक्षा अधीक्षक –सह-नोडल पदाधिकारी

(RTE CELL) बोकारो

आम सुचना

राज्य परियोजना निदेशक (झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्), रांची के ज्ञापांक JEPC/RTE/47/10/2017-18/395, दिनांक 23.02.2022 तथा सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, रांची के अधिसूचना संख्या 237, दिनांक 16.02.2016 के आलोक में सत्र 2023-24 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के तहत् गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के अंतर्गत विद्यालयों के आस-पास के रूप में निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के बच्चो को प्राथमिकता दिया जाना है । चूँकि कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के काफी बच्चे इस अधिनियम के तहत् प्रदत्त लाभ से वंचित रह जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र / आवासीय प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र (परिवार की सभी स्रोतों की वार्षिक आय 72,000 से कम हो)" की अनिवार्यता होगी जिससे अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चो का चयन नियमानुसार हो सके।

27/01/2023

जिला शिक्षा अधीक्षक -सह -
नोडल पदाधिकारी (RTE CELL) बोकारो।

27/01/2023